

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I खंड I में प्रकाशनार्थ

एफ. सं. 6/25/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग व्यापार उपचार महानिदेशालय

दिनांक: 12.06.2025

शुद्धिपत्र अधिसूचना

मामला संख्या सीवीडी (ओआई) - 03/2023

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" के आयात के संबंध में प्रतिपूरक शुल्क जांच में अंतिम निष्कर्ष।

समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क (प्रतिकारी शुल्कों और क्षति की पहचान, निर्धारण और आकलन) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक ने उपरोक्त प्रतिकारी शुल्क जांच के संबंध में अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना एफ. संख्या 6/25/2023 - डीजीटीआर दिनांक 28 मार्च, 2025 जारी की है।

निम्नलिखित पैराग्राफ को इयूटी तालिका के नीचे पैराग्राफ 288 में जोड़ा जा सकता है:

\*उपर्युक्त क्रमांक 1, 3, 7 और 8 के लिए, लगाई जाने वाली प्रतिकारी शुल्क की राशि कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित प्रतिकारी शुल्क की मात्रा और देय प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, के बीच के अंतर के बराबर होगी (अर्थात्, **CVD=उपर्युक्त कॉलम 7 में उल्लिखित शुल्क घटा ADD, यदि कोई हो**) अधिसूचना संख्या 28/2024-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 26.12.2024 के अंतर्गत।

\*\*उपर्युक्त क्रमांक 2 और 4 के लिए, लगाई जाने वाली CVD की मात्रा कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित प्रतिकारी शुल्क घटा देय प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, होगी। चूंकि अंतर राशि ऋणात्मक या शून्य है, ऐसे मामलों में कोई प्रतिकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा (यानी सीवीडी = उपरोक्त कॉलम 7 में शुल्क में से एडीडी, यदि कोई हो) अधिसूचना संख्या 28/2024-सीमा शुल्क (ADD) दिनांक 26.12.2024 के अंतर्गत।

\*\*\* क्रम संख्या 5 और 6 के लिए, चूंकि प्रतिकारी शुल्क और डंपिंग रोधी शुल्क की राशि क्षति मार्जिन से अधिक है, इसलिए, लगाए गए प्रतिकारी शुल्क की मात्रा कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित क्षति मार्जिन और डंपिंग रोधी शुल्क की मात्रा के बीच के अंतर के बराबर होगी (दिनांक 26.12.2024 की अधिसूचना संख्या 28/2024-सीमा शुल्क (ADD)

की अवशिष्ट श्रेणी के क्रम संख्या 6 पर)। तदनुसार, क्रम संख्या 5 पर उत्पादक के लिए 0.01 USD/SQM का अंतर शुल्क और क्रम संख्या 6 पर उत्पादक के लिए 0.31 USD/SQM का अंतर शुल्क CVD के रूप में देय होगा।

\*\*\*\*सीरियल नंबर 9 और 10 के लिए लगाए गए प्रतिपूरक शुल्क की मात्रा देय एंटी-डंपिंग शुल्क के अतिरिक्त है क्योंकि अनुशंसित सब्सिडी मार्जिन और एंटी-डंपिंग शुल्क क्षति मार्जिन से कम है। (यानी CVD = कॉलम 7 में शुल्क)

\*\*\*\*क्रेडिट कार्ड, सुरक्षा कार्ड आदि जैसी विशेष सामग्रियों पर छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली वाटरलेस CtP प्लेटों को छोड़कर, न कि कागज पर।

(सिद्धार्थ महाजन)  
निर्दिष्ट प्राधिकारी